

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर  
ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

वेबसाइट- www.jsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/20041

दिनांक- 24-9-18

-:: स्वीकृति आदेश ::-

विषय: शहरी निकायों को वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 (03 माह) के लिए चुगी की राशि के पुनर्गण हेतु अनुदान।

राज्य की शहरी निकायों को वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर 2018 से दिसम्बर (03 माह) तक के लिए स्वीकृत चुगी पुनर्गण अनुदान की तृतीय फिस्त की राशि में से निम्नांकित स्वीकृतियों द्वारा पेशन अंशदान की बकाया राशि के पेटे कुल राशि रुपये 435.02 लाख की कटौति विभागीय स्तर पर की गयी है :-

01.	लेखा/ प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/19736-82 दिनांक-24-09-2018 (स्वीकृति संलग्न)	राशि रुपये 170.00 लाख
02.	लेखा/ प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/19783-20040 दिनांक-24-09-2018 (स्वीकृति संलग्न)	राशि रुपये 265.02 लाख
योग		राशि रुपये 435.02 लाख

उक्त राशि रुपये 435.02 लाख (अक्षरे रुपये चार करोड़ पैंतीस लाख दो हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद

नाम संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

00 - सामान्य

091 - नगर निगम को सहायता

(03)-विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध

[00]

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर सवेदान) (राज्य निधि)

राशि रुपये 170.00 लाख

2217 - शहरी विकास

00 - सामान्य

092 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता

(05)-विशेष अनुदान

[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर सवेदान) (राज्य निधि)

राशि रुपये 265.02 लाख

जमा मद

8011- बीमा तथा पेंशन निधि

106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि

(02)-नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के

कर्मचारियों की पेंशन निधिया

राशि रुपये 435.02 लाख

कुल राशि : 435.02 लाख

कुल राशि : 435.02 लाख

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 101805331 दिनांक 18.09.2018 के क्रम में जारी की गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 24-9-18

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/20042-202

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रुपये 435.02 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन की स्वीकृति जारी करावें।
02. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
03. लघु निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
04. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत कटौतियों का लेखांकन निकाय के लेखों में सुनिश्चित किया जावें।
05. लेखाधिकारी (पेंशन), निदेशालय।
06. अंक प्रिलान शाखा/सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(191)वित्त-1(1)आय व्ययक / 2017 /

दिनांक 26.09.2018

कोषाधिकारी,  
सचिवालय जयपुर।

(स्वीकृति संख्या 351 / 2018-19)

विषय:- शहरी निकायों को वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर 2018 (03 माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/यु.पु. अनु/2017-18/20041-20202 दिनांक 24.09.2018 के क्रम में राशि रुपये 435.02 लाख (अक्षरों रूपसे चार करोड़ पैंतीस लाख दो हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समाविष्ट कर दी जाये:-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 191 - नगर निगम को सहायता (03)-विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध [00] 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रुपये 170.00 लाख	8011- बीमा तथा पेंशन निधि 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि (02)-नगरपरिषदों/ नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधियां राशि रुपये 435.02 लाख
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता (45)-विशेष अनुदान [01]-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रुपये 265.02 लाख	
कुल राशि : 435.02 लाख	कुल राशि : 435.02 लाख

भवदीय

  
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
06. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
07. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
08. सुरक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)